

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2030

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण हेतु ₹ 2090.43 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,90,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क के अंतरण हेतु ₹ 5945.02 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 59,45,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।